रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239195
CG-DL-E-28092022-239195

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944
No. 226] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

सं. 25 /2015–2020

विषय : न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना भूटान से ताजा (हरा) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया।

फा. सं. 01/89/180/43/एम–01/पी.सी–2(क)/पार्ट–III/ई–8258.—विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना भूटान से आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत ताजा (हरा) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के आवेदन जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हैं

1. वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी छमाही के लिए, भूटान से एमआईपी के बिना 8,500 मीट्रिक टन ताजा (हरा) सुपारी की यथानुपात मात्रा का आयात किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे, भूटान से एमआईपी के बिना कुल 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरा) सुपारी का आयात किया जा सकता है।

2. इस तरह के किसी भी आयात को करने से पहले, भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर आवेदन कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की मांग करेगा।

3. पंजीकरण प्रमाणपत्र के तहत अनुमत अधिकतम मात्रा 500 मीट्रिक टन होगी। एक बार पहले से पंजीकृत मात्राओं का विधिवत आयात हो जाने के बाद आयातक अतिरिक्त मात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं।

4. आरसी अधिकतम 6 महीने की अवधि या वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, के लिए वैध होगी। इसके अलावा, डीजीएफटी के पास किसी भी समय, जैसा उचित समझा जाए, तौर–तरीकों/आवंटन प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

5. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत ताजा (हरा) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन जारी करने की प्रक्रिया अधिसूचित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th September, 2022

No. 25/2015-20

Subject : Procedure for Registration Certificate for Import of Fresh (green) Areca Nut from Bhutan without Minimum Import Price (MIP) condition

F. No. 01/89/180/43/AM-01/PC-2[A]/Part-III/E-8258.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby lays down the procedure for Application/Issuance of Registration Certificate(RC) for Import of Fresh (green) Areca Nut under ITC(HS) 0802 80 10 from Bhutan without Minimum Import Price (MIP) condition -

1. For the second half of the fiscal year 2022-23, pro-rata quantity of 8,500 MT of Fresh (green) Areca Nut may be imported without MIP from Bhutan. For the financial year 2023-24 onwards, a total of 17,000 MTs of Fresh (Green) Areca Nut may be imported without MIP from Bhutan.

2. Before effecting any such imports, the Indian importer shall seek a Registration Certificate by applying on the *DGFT Website → Services → Import Management System → Apply for Registration Certificate for Imports*.

3. The maximum quantity permissible under a Registration Certificate will be 500 MTs. The importer(s) can apply for additional quantities once the quantities already registered have been duly imported.

4. RC shall be valid for a maximum period of 6 months or the end of the financial year, whichever is earlier. Further, DGFT reserves the right to make any changes in the modalities/allocation process at any point of time, as deemed fit.

5. **Effect of this Public Notice**: Procedure for application/Issuance of Registration Certificate for Import of Fresh (green) Areca Nut under ITC(HS) 0802 80 10 without Minimum Import Price (MIP) condition from Bhutan have been notified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.09.28 22:34:52 +05'30'